REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935No. 657]NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 769(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 364 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2014 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कॉलम 3 में क्रम सं. 224 के सामने ''उडुपी के निकट रारा-66 के साथ इसके जंक्शन'' शब्द, अंक और अक्षर के लिए ''उडुपी हार्बर (माल्पे)'' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

> [फा. सं. एनएच-14012/8/2013-पी एंड एम] माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 769(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 364 (E), dated, the 10th February, 2014, namely:—

In the Table to the said notification, against serial number 224, in column 3 for the word, figures and letters "its junction with NH-66 near Udupi", the words, figures and letters "Udupi Harbour (Malpe)" shall be substituted.

[F. No. NH-14012/8/2013-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:—The principal notification was published vide number S.O. 364(E), dated, the 10th February, 2014.